न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–02 / 2017–18

राज्य बनाम डी.एल.3सी.ए.एक्स.–5134

आदेश की क्रम सं. और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3

आदेश

13.6.17

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, खगड़िया थाना कांड सं०–149 / 2017, दिनांक–06.03.2017 से प्राप्त स.अ.नि., खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–09.04.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1353 / सी.आर., दिनांक–12.04.2017 द्वारा भी स.अ.नि. , खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

स.अ.नि., खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन DL3CAX-5134 इंडिका भी.–2 हैं। दिनांक–06.03.2017 को अवैध रूप से उक्त वाहन पर 375एम.एल. का 72 बोतल विदेशी शराब एवं तीन कार्टून में 750एम.एल. का Royal Stag Whisky 32 बोतल विदेशी शराब एवं तीन कार्टून में दो प्लास्टिक के बोरा में कुल 104 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त वाहन को जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।

जप्ती सूची के अनुसार इंडिका भी.–2 से वर्णित सामग्रियों को विधिवत जप्त कर जप्ती सूची पर स.अ.नि., खगड़िया के हस्ताक्षर के साथ निरंजन चौधरी, पिता–कपिलदेव चौधरी, एवं सोनू कुमार, पिता–अशोक साह का हस्ताक्षर है।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–26.05.2017 एवं दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत इंडिका भी.–2 के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी के समाचार–पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के बावजूद सुनवाई के प्रक्रम में भाग लेने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु वे जानबूझ कर प्रक्रिया को बाधित करने की दृष्टि से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति

कर तथा न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते है। विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

उपर्युक्त प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा अन्य प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा इरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस काड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

पक्षकार की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन DL3CAX-5134 इंडिका भी.–2 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन DL3CAX-5134 इंडिका भी.–2, जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन DL3CAX-5134 इंडिका भी.–2 का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
खगड़िया।

समाहर्ता
खगड़िया।